Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 88)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

लिछमा देवी पत्नी डूंगरराम जाति जाट निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम मुन्नीराम वगै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 60 /2023 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.2023	आज यह प्रार्थना पत्र लिछमा देवी ने जरिये श्री राजाराम मैण अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 84 तादादी 10.9000 हैक्टेयर वाकेरोही बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ में आगामी सुनवाई तिथि तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 21.08.2023 को आकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थी अधिवक्ता सीपासी आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 21.08.2023 को पेश हों । उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
16.8.2023	पत्रावली प्रार्थिनी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेश की गई। प्रार्थिनी द्वारा प्रो. पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बनी रहने पर बिंदुओं के आधार पर निस्तारित करने का निवेदन किया। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जरिये [illegible] के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना [illegible] कार्यवाही किया जाता है। [illegible] वादिका नम्बर [illegible] दी।	अ.नि. लिछमादेवी 16/08/2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.12.11 10:57:14 IST
Reason: SelfAttested